# न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड़ अधिकारी,रावतभाटा जिला–चित्तौड़गढ़

## पीठासीन अधिकारी डॉ. कृति व्यास (आर0,ए0,एस0)

प्रकरण संख्या प्रार्थना पत्र –29/2023

**अनवान**

ओमप्रकाश मीणा पिता श्री नन्दलाल मीणा जाति मीणा उम्र बालिग निवासी नागणी, तहसील रावतभाटा जिला चित्तौडगढ़।

– प्रार्थी

**बनाम**

रतनलाल मीणा पिता श्री हीरालाल जी मीणा जाति मीणा उम्र 66 वर्ष निवासी बाडोलिया हालमुकाम नहर के पास, रावतभाटा जिला चित्तौडगढ़ राजस्थान।

प्रतिवादी/विपक्षीगण

## प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 88,188,183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

## प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 10 जा0दी0

उपस्थित – श्री बाबूराम देराश्री वादी की ओर से।
श्री अर्जुन सिंह चुण्डावत, प्रतिवादी की ओर से।

**निर्णय** दिनांक 01.04.2026

वादी द्वारा वाद पत्र के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादी के स्वामित्व एंव खातेदारी रिकार्ड की कृषि भूमिया जों ग्राम नागणी प०ह० वाडोलिया तहसील रावतभाटा की जमाबन्दी सम्वंत 2076–79 की खाता संख्या 12 में दर्ज खसरा सं 23/577 रकबा 0.43 हैक्टेयर लगान 3.87 पैसा जो कि वादी ओमप्रकाश मीणा के नाम खाते दर्ज रिकार्ड चली आ रही है जिस पर कदीमी समय से काबिज होकर काश्त करता चला आ रहा है। वादी उक्त वर्णित कृषि भूमियो पर काबिज होकर काश्त करता चला आ रहा है। उक्त कृषि भूमियां वादी को अपने पिता के जीवनकाल से ही विरासत में प्राप्त हुई थी तथा वादी एंव प्रतिवादी के पिता ने कृषि भूमियों का बटवारा कर दिया था तथा उनके स्वर्गवास के पश्चात उक्त कृषि भूमियां खसरा सं. 23/577 रकबा 0.4300 हेक्टेयर वादी के हिस्से आई जिस पर वादी काबिज होकर काश्त करता चला आ रहा है वादी ने कडी अंग मेहनत कर काफी रूपया पैसा खर्च कर इन कृषि भूमियो को आबाद कर काबिल काश्त बनाया है किन्तु प्रतिवादी के मन मे लालच एंव बदयान्ती आ गई तथा वह इन कृषि भूमियों को वादी से जबरन छीनकर इन पर काबिज हो जाना चाहता है तथा वादी को बार–बार कृषि कार्य करने से रोक देता है तथा स्वयं इन्हे हाक जोत कर जबरन बुआई कर देता है जिसे जरिये निषेधाज्ञा रोका जाना न्यायोचित है। इस दौरान प्रतिवादी रतनलाल मीणा ने उक्त कृषि भूमि पर नाजायज कब्जा कर काबिज हो काश्तकारी करने लग गया जिसका कि कानूनन उसे कोई अधिकार नहीं है क्योकि यह कृषि भूमियां वादी ओमप्रकाश मीणा के नाम खाते दर्ज रिकार्ड है जिसे वह अवैध रूप से नाजायज अतिक्रमण कर वादी को जबरन बेदखल करके अपने नाम खातेदारी से घोषित करवाना चाहता है जिसका उसे कोई अधिकार नही है, क्योंकि प्रतिवादी रतनलाल गलत रूप से उक्त आराजी पर काबिज हो गया है जिसे बेदखल कर उक्त कृषि भूमियो का कब्जा वादी ओमप्रकाश मीणा को दिलाया जाना न्यायोचित है तथा उक्त कृषि भूमियो पर वादी ओमप्रकाश मीणा की रिकार्डेड खातेदार होने से यह कृषि भूमियां उसी के नाम खातेदारी की घोषणा किया जाना भी न्यायोचित है। वाद कारण दिनांक 25.05.2023 को जब वादी अपने कब्जे काश्त एंव काश्त रिकार्ड की कृषि भूमियों पर कृषि कार्य करने गया एंव कृषि भूमियों पर देसी खाद डालने गया तथा खेतो मे झाड–झन्कार साफ करने गया तो प्रतिवादी रतनलाल ने वादी ओम प्रकाश मीणा को अपनी कृषि भूमियों में कृषि कार्य करने से रोका तथा खेतो की हकाई जुताई झाड–झुन्कार करने से रोका तब से उत्पन्न होकर हर रोज उत्पन्न हो रहा है। अंत में वादी द्वारा निवेदन किया है कि वादी के पक्ष में तथा प्रतिवादी रतनलाल मीणा के विरुध्द इस आशय की डिक्री व आदेश पारित किया जाये कि–ग्राम जावराखुर्द प०ह० बाडोलिया तहसील रावतभाटा की जमाबन्दी सम्वत 2076–79 में स्थित खाता संख्या 12 पर दर्ज खसरा संख्या 23/577 रकबा 0.43 हैक्टेयर कृषि भूमियो पर जो कि रिकॉर्ड में वादी के नाम दर्ज रिकार्ड है खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे। उक्त वर्णित कृषि भूमियों पर प्रतिवादी रतनलाल मीणा जबरन अवैध रूप से काबिज होकर काश्तकारी कार्य करने की कोशिश कर रहा है अगर दौराने वाद प्रतिवादी उक्त वर्णित कृषि भूमियो पर काबीज होकर कब्जा एंव अतिक्रमण कर लेता है तो उसे बेदखल कर उक्त कृषि भूमियो का कब्जा वादी ओमप्रकाश मीणा को दिलाया जाने की डिकी व आदेश प्रदान किया जावें। वाद–पत्र मे वर्णित कृषि भूमियो पर प्रतिवादी रतनलाल मीणा को प्रवेश करने, हकाई–जुताई, बुआई करने से जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से रोका जावें कि वह न तो स्वंय न ही अपने अभिकर्ता के मार्ग पर कृषि भूमियो पर हकाई–जुताई न तो स्वंय करे न ही दिगर व्यक्ति से करवायें। इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा पारित किया जावें।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

प्रकरण प्रतिवादी को तलब किया गया। प्रतिवादी की ओर से अधिवक्ता श्री अर्जुन सिंह चुण्डावत पैरवी हेतु उपस्थित हो प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–10 जा0दी0 को पेश किया गया। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि उक्त अनवान सदर में प्रतिवादी रतनलाल पिता हीरा मीणा निवासी बाडौलिया हाल मुकाम रातवभाटा की ओर से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादी द्वारा ग्राम जावराखुर्द प0ह0 बाडौलिया की आराजी संख्या 23/577 रकबा 0.43है0 भूमि को लेकर वाद पत्र प्रस्तुत किया है, उक्त आराजी का एक वाद पत्र प्रतिवादी रतनलाल द्वारा न्यायालय श्रीमान में धारा 88, 53 रा.टी.ए. व सपठित धारा 136 रा.ले.रे.एक्ट बाबत घोषणा, बंटवारा व इन्द्राज दुरूस्ती का प्रस्तुत कर रखा है, जिसकी प्रकरण संख्या 03/2022 सी.ओ. है, जिसमें तारीख पेशी वास्ते तनकीयात दिनांक 25.07.2023 को नियत है, उक्त प्रकरण में न्यायालय श्रीमान द्वारा मौके की रिपोर्ट भी तहसीलदार रावतभाटा से तलब की है, जिसमें श्रीमान तहसीलदारा रावतभाटा द्वारा दिनांक 17.11.2022 को मौका पर्चा बनाकर रिपोर्ट तैयार कर उक्त प्रकरण में प्रस्तुत कर रखी है, उक्त मौका रिपोर्ट में भी आराजी संख्या 23/577 पर कदीमी समय से रतनलाल मीणा का ही कब्जा बता रखा है, अभी हाल ही में हुए नवीन सेटलमेंट में उक्त आराजी को राजस्व कर्मचारियों द्वारा गलत तरमीम कर गलत दर्शा दिया था, इस हेतु रतनलाल द्वारा उक्त प्रकरण संख्या 03/2022 न्यायालय श्रीमान में प्रस्तुत कर रखा है, जो वादी ओमप्रकाश द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र संख्या 29/2023 व प्रतिवादी रतनलाल द्वारा प्रस्तुत वाद संख्या 03/2022 एक ही प्रकृति के व एक ही अनुतोष के वाद पत्र है, इसलिए वादी ओमप्रकाश द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र को इसी स्टेज पर अस्वीकार कर प्रकरण संख्या 03/2022 में सलंग्न पत्रावली किया जाना न्यायोचित है। वादी ओमप्रकाश द्वारा ग्राम जावराखुर्द की आराजी संख्या 23/577 को लेकर ही वाद पत्र प्रस्तुत कर रखा है, जबकि आराजी संख्या 23/577 को लेकर प्रतिवादी रतनलाल द्वारा पुर्व में ही वाद पत्र प्रस्तुत कर रखा है, इसलिए वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र न्यायालय श्रीमान में चलने योग्य नहीं है, तथा उक्त वाद पत्र रेस ज्युडीकेटा की परिभाषा में आता है, एक ही प्रकृति के दो वाद व एक ही कृषि आराजी को लेकर दो वाद न्यायालय श्रीमान में नही चल सकते हे, क्योंकि सी.पी.सी. की धारा 10 कहती है कि कोई न्यायालय ऐसे किसी भी वाद के विचारण में जिसमें विवाद विषय उसी अधीन मुकदमा करने वाले किन्हीं पक्षकारों के बीच के या ऐसे पक्षकारों के बीच के जिनसे व्युत्पन्न अधिकार के अधीन वे या उनमें से कोई दावा करते है किसी पूर्वतन संस्थित वाद में भी प्रत्यक्षतः और सार्थ्य विवाद है आगे कार्यवाही नहीं करेगा, चाहे ऐसा वाद उसी न्यायालय में या भारत के किसी भी अन्य न्यायालय में जो दावा किया गया है, अनुतोष देने की अधिकारिता रखता है, या भारत की सीमाओं के परे किसी भी किसी ऐसे न्यायालय में जो केन्द्रीय सरकार द्वारा संस्थापित किया गया है, या चालु किया गया है, वैसी ही अधिकारिता रखता है, या उच्चतम न्यायालय के समक्ष लम्बित है, इससे स्पष्ट है कि एक ही प्रकृति के दो वाद नहीं चल सकते है, जबकि वादी ओमप्रकाश द्वारा पूर्व में लम्बित वाद प्रकरण संख्या 03/2022 में अपनी उपस्थिति दे रखी है और उसकी जानकारी में होते हुए भी न्यायालय श्रीमान मे विधि विरूद्ध वाद पत्र प्रस्तुत किया गया है, जिसकी कार्यवाही को रोका जाना न्यायोचित है। अंत में प्रार्थी रतनलाल द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर वादी ओमप्रकाश द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र की कार्यवाही को इसी स्टेज पर रोकने का आदेश प्रदान कर उक्त प्रकरण की पत्रावली को पूर्व में विचाराधीन प्रकरण में शामिल पत्रावली किये जाने का आदेश प्रदान किया जावें।

विपक्षी/वादी की ओर से जवाब में निवेदन किया गया कि प्रतिवादी रतनलाल द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र विधिविरूद्ध एवं आधारहीन होने से अस्वीकार किये जाने योग्य है। प्रतिवादी ने प्रकरण को जानबूझकर लम्बित करने के उद्देश्य से पेश किया है जो खारीज होने योग्य है। प्रतिवादी रतनलाल ने अपने प्रार्थना पत्र में पूर्व में जो प्रकरण पेश करना बताया है यह प्रकरण धारा 88, 53 तथा धारा 136 रा.ले.रे.एक्ट में प्रस्तुत किया है जबकि वादी ओमप्रकाश द्वारा यह प्रकरण धारा 88, 188 तथा 183 रा.टी.ए. के तहत पेश किया है। दोनो दावे अलग–अलग धाराओं में होकर दोनों में अनुतोष भी अलग–अलग चाहा गया है। प्रतिवादी रतनलाल ने अपने दावे में आराजी संख्या 23/577 तथा आराजी संख्या 27 व 28 बाबत् भी पेश किया है। जिसमें उसने इन्द्राज दुरूस्ती चाही है जबकि वादी ओमप्रकाश ने प्रस्तुत वाद पत्र खसरा संख्या 23/577 बाबत बेदखली एवं निषेधाज्ञा हेतु पेश किया है। इस प्रकार दोनो में धाराएं अलग–अलग है तथा अनुतोष भी अलग–अलग चाहा गया है। वाद के तथ्य एवं विषयवस्तु भी दोनो प्रकरण में भिन्न होने से धारा 10 जा.दी. के प्रावधान पूर्णरूपेण लागू नहीं होते है। दोनो प्रकरण में अभी तक विवाद्यक विरचित नहीं हुए है तथा दोनो प्रकरण के विवाद्यक भिन्न भिन्न होने से तथा अनुतोष भी भिन्न भिन्न होने से धारा 10 जा0दी0 के प्रावधान लागू नही होने से यह प्रार्थना पत्र इसी स्टेज पर खारीज होने योग्य है। प्रतिवादी रतनलाल अपने द्वारा प्रस्तुत प्रकरण संख्या 03/2022 में धारा 136 ले0रे0एक्ट के तहत वादी ओमप्रकाश के नाम खाते दर्ज आराजी संख्या 23/577 रकबा 0.43है0 के टुकडे कर उसे बिलानाम घोषित करवाकर उसमें इन्द्राज दुरूस्ती हेतु

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

अनुतोष चाहता है जबकि वादी ओमप्रकाश अपने नाम खाते दर्ज आराजी संख्या 23/577 से प्रतिवादी रतनलाल को बेदखल करने व आराजी जैर बहस पर प्रतिवादी रतनलाल के विरूद्ध निषेधाज्ञा चाहता है। इससे स्पष्ट है कि दोनों प्रकरण में वाद की विषयवस्तु भी अलग–अलग है तथा अनुतोष भी अलग–अलग है। इस कारण धारा 10 जा0दी0 के प्रावधान लागु नही होने से यह प्रार्थना पत्र इसी स्टेज पर खारीज होने योग्य है। अंत में निवेदन किया है कि प्रतिवादी रतनलाल मीणा की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र मय हर्जा खर्चा खारिज फरमाया जावें।

हमने प्रार्थना पत्र पर उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी। वकील प्रतिवादी/प्रार्थी ने बहस में प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया है कि वादी द्वारा ग्राम जावराखुर्द प0ह0 बाडौलिया की आराजी संख्या 23/577 रकबा 0.43है0 भूमि को लेकर वाद पत्र प्रस्तुत किया है, उक्त आराजी का एक वाद पत्र प्रतिवादी रतनलाल द्वारा न्यायालय श्रीमान में धारा 88, 53 रा.टी.ए. व सपठित धारा 136 रा.ले.रे.एक्ट बाबत घोषणा, बंटवारा व इन्द्राज दुरूस्ती का प्रस्तुत कर रखा है, जिसकी प्रकरण संख्या 03/2022 सी.ओ. है, जिसमें तारीख पेशी वास्ते तनकीयात दिनांक 25.07.2023 को नियत है, उक्त प्रकरण में न्यायालय श्रीमान द्वारा मौके की रिपोर्ट भी तहसीलदार रावतभाटा से तलब की है, जिसमें श्रीमान तहसीलदारा रावतभाटा द्वारा दिनांक 17.11.2022 को मौका पर्चा बनाकर रिपोर्ट तैयार कर उक्त प्रकरण में प्रस्तुत कर रखी है, उक्त मौका रिपोर्ट में भी आराजी संख्या 23/577 पर कदीमी समय से रतनलाल मीणा का ही कब्जा बता रखा है, अभी हाल ही में हुए नवीन सेटलमेंट में उक्त आराजी को राजस्व कर्मचारियों द्वारा गलत तरमीम कर गलत दर्शा दिया था, इस हेतु रतनलाल द्वारा उक्त प्रकरण संख्या 03/2022 न्यायालय श्रीमान में प्रस्तुत कर रखा है, जो वादी ओमप्रकाश द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र संख्या 29/2023 व प्रतिवादी रतनलाल द्वारा प्रस्तुत वाद संख्या 03/2022 एक ही प्रकृति के व एक ही अनुतोष के वाद पत्र है, इसलिए वादी ओमप्रकाश द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र को इसी स्टेज पर अस्वीकार कर प्रकरण संख्या 03/2022 में सलंग्न पत्रावली किया जाना न्यायोचित है। इसके विपरित वकील वादी/अप्रार्थी द्वारा बहस के दौरान निवेदन किया है कि प्रतिवादी रतनलाल द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र विधिविरूद्ध एवं आधारहीन होने से अस्वीकार किये जाने योग्य है। प्रतिवादी ने प्रकरण को जानबूझकर लम्बित करने के उद्देश्य से पेश किया है जो खारीज होने योग्य है। प्रतिवादी रतनलाल ने अपने प्रार्थना पत्र में पूर्व में जो प्रकरण पेश करना बताया है यह प्रकरण धारा 88, 53 तथा धारा 136 रा.ले.रे.एक्ट में प्रस्तुत किया है जबकि वादी ओमप्रकाश द्वारा यह प्रकरण धारा 88, 188 तथा 183 रा.टी.ए. के तहत पेश किया है। दोनो दावे अलग–अलग धारों में होकर दोनों में अनुतोष भी अलग–अलग चाहा गया है। प्रतिवादी रतनलाल ने अपने दावे में आराजी संख्या 23/577 तथा आराजी संख्या 27 व 28 बाबत् भी पेश किया है। जिसमें उसने इन्द्राज दुरूस्ती चाही है जबकि वादी ओमप्रकाश ने प्रस्तुत वाद पत्र खसरा संख्या 23/577 बाबत बेदखली एवं निषेधाज्ञा हेतु पेश किया है। इस प्रकार दोनो में धाराएं अलग–अलग है तथा अनुतोष भी अलग–अलग चाहा गया है। वाद के तथ्य एवं विषयवस्तु भी दोनो प्रकरण में भिन्न होने से धारा 10 जा.दी. के प्रावधान पूर्णरूपेण लागू नहीं होते है। प्रतिवादी रतनलाल मीणा की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र मय हर्जा खर्चा खारिज फरमाया जावें।

हमने पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन किया उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। प्रकरण में प्रतिवादी की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 10 जा.दी. के तहत प्रस्तुत कर वकील प्रतिवादी ने इस संबंध में विवादित आराजीयात के संबंध में इन्ही पक्षकारों के मध्य एवं इन्ही विवादित आराजीयात के संबंध में न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, रावतभाटा में प्रकरण विचाराधीन होना बताया है। प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों की पुष्टि अप्रार्थी द्वारा शहादत सबूत के रूप में पत्रावली में शामिल तहसीलदार रावतभाटा द्वारा पेश मौका रिपोर्ट के दस्तावेज प्रस्तुत किए है, जिससे अप्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र धारा–10 जा.दी. के कथनों की पुष्टि होती है तथा अभिलेख से स्पष्ट है कि वादी ओमप्रकाश द्वारा ग्राम जावराखुर्द, प0ह0 बाडौलिया स्थित आराजी संख्या 23/577 रकबा 0.43 हैक्टेयर के संबंध में वर्तमान वाद प्रस्तुत किया गया है। इसी आराजी के संबंध में प्रतिवादी रतनलाल मीणा द्वारा पूर्व में इस न्यायालय में प्रकरण संख्या 03/2022 धारा 88, 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम एवं सपठित धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम के अंतर्गत घोषणा, बंटवारा एवं इन्द्राज दुरुस्ती बाबत वाद प्रस्तुत किया जा चुका है, जो वर्तमान में विचाराधीन है। अभिलेख से यह भी परिलक्षित है कि प्रकरण संख्या 03/2022 में न्यायालय द्वारा तहसीलदार, रावतभाटा से मौका रिपोर्ट तलब की गई थी, जो दिनांक 17.11.2022 को प्रस्तुत की जा चुकी है, जिसमें विवादित आराजी पर कदीमी कब्जा रतनलाल मीणा का होना अंकित है। दोनों वादों का सम्यक परीक्षण करने पर यह तथ्य स्थापित होता है कि दोनों वाद एक ही आराजी संख्या 23/577 से संबंधित हैं, दोनों में पक्षकार समान हैं, विवाद का स्वरूप एवं मांगा गया अनुतोष समान/परस्पर संबंधित है, साक्ष्य एवं विवादित प्रश्न (issue) एक–दूसरे से अभिन्न रूप से जुड़े हुए हैं। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने भी विभिन्न निर्णयों में यह सिद्धांत प्रतिपादित किया है कि जब एक ही भूमि, समान पक्षकार एवं समान विवाद से संबंधित वाद लंबित हों, तो न्यायहित में उनकी संयुक्त सुनवाई (consolidation) किया जाना उचित होता है।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

उपरोक्त तथ्यों एवं विधिक स्थिति के आलोक में यह न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचता है कि दोनों वादों की पृथक–पृथक सुनवाई न्यायिक दृष्टि से उपयुक्त नहीं है, संयुक्त सुनवाई से न्यायिक समय की बचत होगी तथा विरोधाभासी निर्णय की संभावना समाप्त होगी।

अतः प्रतिवादी/प्रार्थी का प्रार्थना पत्र धारा–10 जा.दी. का स्वीकार किया जाता है। वाद संख्या 29/2023 (ओमप्रकाश बनाम रतनलाल मीणा) की पत्रावली को प्रकरण संख्या 03/2022 के साथ Club (संलग्न) किया जाता है। प्रकरण संख्या 03/2022 को मुख्य वाद (Leading Case) के रूप में निर्धारित किया जाता है। दोनों वादों की संयुक्त सुनवाई की जाएगी तथा समस्त साक्ष्य का समेकित परीक्षण कर एक ही समेकित निर्णय पारित किया जाएगा। कार्यालय को निर्देशित किया जाता है कि दोनों वादों की पत्रावलियों को विधिवत टैग कर अभिलेख संधारण सुनिश्चित किया जाए। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जावें।

निर्णय आज दिनांक 01.04.2026 को सुनाया गया।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

(डॉ. कृति व्यास) आर.ए.एस.
सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
रावतभाटा जिला चित्तौड़गढ़